न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 137/2023

प्रकरण दर्ज तिथि :— 04.12.2023

जीसीएमएस नम्बर :— 2023/377

वादीगण :—

1. भंवरलाल पुत्र सुखदेव उर्फ लक्ष्मण पुत्र धन्नाजी, उम्र व्ययस्क
2. नेमीचन्द पुत्र सुखदेव उर्फ लक्ष्मण पुत्र धन्नाजी, उम्र व्ययस्क
3. पुखराज पुत्र सुखदेव उर्फ लक्ष्मण पुत्र धन्नाजी, उम्र व्ययस्क
4. नैना पुत्री सुखदेव उर्फ लक्ष्मण पुत्र धन्नाजी, उम्र व्ययस्क

जातियान— गुर्जर, निवासीगण— केसरपुरा (सुमेल) तहसील— रायपुर, जिला— ब्यावर (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. श्रीमान तहसीलदारजी, तहसील कार्यालय— रायपुर, जिला— ब्यावर
2. श्री पटवारीजी, पटवार हल्का सुमेल, तहसील—रायपुर, जिला— ब्यावर

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री भागीरथ तैली अधिवक्ता वादीगण

2 सरकारी पैराकार उपस्थित

निर्णय

दिनांकः 27.12.2023

वादी की ओर से वकील श्री भागीरथ तेली द्वारा दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि ग्राम नाहरगढ, पटवार हल्का सुमेल, तहसील— रायपुर, जिला— ब्यावर में आई हुई है, जिसके खसरा नम्बर 1041/1 रकबा 32 बीघा किस्म बारानी दोयम है, उक्त भूमि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1955 की धारा 101 के अधीन अनाधि वासिता भूमि के कृषि प्रयोजनार्थ आवरण के लिये आवेदन पत्र श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय जैतारण के समक्ष्ज्ञ दिनांक 10.06.1971 को प्रस्तुत किया, जो बाद सुनवाई कमेटी द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके आधार पर जमाबन्दी सम्वत 2032 से 2035 में बतौर खातेदार दर्ज की जाकर खातेदारी दर्ज की गयी। जिसकी प्रति वाद के साथ आवश्यक रूप से पेश की जा रही है, जिसे वाद का एक आवश्यक भाग समझा जावे। वादीगण के पूर्वज लक्ष्मण पुत्र सुखदेव पुत्र धन्नाजी, जाति— गुर्जर, निवासी केसरपुरा (सुमेल) का देहान्त हो गया, जिनकी वृक्ष वंशावली निम्नानुसार है :—

लक्ष्मण उर्फ सुखदेव पुत्र धन्नाजी (फौत)

भंवरलाल	नेमीचन्द	पुखराज	नैना
(पुत्र)	(पुत्र)	(पुत्र)	(पुत्री)

उपरोक्त वृक्ष वंशावली को सरपंच ग्राम पंचायत सुमेल द्वारा तसदीक किया गया, उक्त प्रमाण पत्र की प्रति साथ सलग्न पेश है, जिसे उक्त वाद पत्र का एक आवश्यक भाग समझा जावे। वादीगण एवं वादीगण के पूर्वज आवंटन के समय से निरन्तर कब्जा काश्त चले आ रहे है, वादीगण के पूर्वज का देहान्त वर्ष 2021 मे हो गया, तब वादीगण ने विरासत नामान्तकरण भरने हेतू हल्का पटवारी से सम्पर्क किया, तो हल्का पटवारी ने बताया कि वर्तमान में वादीगण के पूर्वज का नाम वर्तमान खातेदारी में नही है, तब वादीगण ने कम्प्युटरकृत नकले सम्वत 2055 से 2074 तक की दिनांक 21.11.2023 को प्रत्येक की बट्टा बट्टी सहित प्राप्त की, जिसमें वादीगण के पूर्वज का नाम नही मिला, खसरा नम्बर 1041/1 सरकार के नाम दर्ज मिली, तब वादीगण ने सम्वत 2030 से सम्वत 2054 की नकल हेतू उपतहसील कार्यालय सेन्दडा में आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर सम्वत

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

2032 से 2035 की नकले वादीगण को उपलब्ध करवायी गयी, तथा सम्वत 2036 से 2054 तक की जमाबन्दी की नकले उपलब्ध होना नही बताया। राजस्व कर्मचारियो की भूल वंश राजस्व रेकर्ड सम्वत 2036 से 2054 का रिकोर्ड नही मिला है, एवं राजस्व कर्मचारियो की भूल वंश समवत 2036 के बाद वादीगण के पूर्वज का नाम राजस्व रेकर्ड से हट गया है, जिसे न्यायहित में राजस्व कर्मचारियो की गलती को सुधार किया जाकर वादीगण के पूर्वजो का नाम सम्वत 2032 से 2035 के अनुसार संशोधन किया जाकर वर्तमान जमाबन्दी के राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज किया जाकर वादीगण को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है, अन्यथा वादीगण को अपने मूलमूल अधिकारो से वंचित होना पडेगा, जिससे वादीगण को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा, जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी सूरत में सम्भव नही होगी, लिहाजा वादीगण अपने हक अधिकारो की सुरक्षा हेतू यह वाद घोषणा, संशोधन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का खिलाफ प्रतिवादीगण के माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 राज्य सरकार के अधिकारी है, जिनके विरूद्ध बाद पेश करने से पूर्व दो माह नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन वाद की आवश्यक प्रकृति को देखते हुये बिना नोटिस दिये ही श्रीमान से अनुमति लेकर वाद पेश किया जा रहा है। बिनायदावा वर्ष 2021 मे वादीगण द्वारा पटवारी हल्का से अपने पूर्वज के स्थान पर नामान्तकरण भरने हेतू सम्पर्क किया, तब पटवारी द्वारा बताया गया कि वादीगण के पूर्वज का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही है, तब वादीगण ने कम्प्युटरकृत नकले सम्वत 2055 से 2074 तक की दिनांक 21.11.2023 को प्रत्येक की बट्टा बट्टी सहित प्राप्त करने पर वादीगण को जानकारी होने पर बमुकाम नाहरगढ, तहसील– रायपुर, जिला– ब्यावर मे उत्पन्न होता है, जो माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार, श्रवणाधिकार व हक अखत्यार का होने से वाद अन्दर मियाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। मालियत वाद बाबत घोषणा, संशोधन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की 200–200/– रूपये कायम की जाती है, जिस पर निर्धारित न्याय शुल्क स्टाम्प 6/– अक्षरे छह रूपये का वाद के साथ सलग्न पेश है। पक्षकारान के निवास स्थान, वाद की प्रकृति, वाद की मालियत एवं बिनायदावा के आधार पर उक्त वाद का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान के न्यायालय को होने से श्रीमान के समक्ष वाद पेश है। डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर यह घोषित फरमाया जावे कि वाद के पर संख्या 1 एक में वर्णित भूमि ग्राम नाहरगढ, पटवार हल्का सुमेल, तहसील– रायपुर, जिला– ब्यावर में खसरा नम्बर 1041/1 रकबा 32 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है, उक्त भूमि मतें राजस्व कर्मचारियो की गलती को सुधार किया जाकर वादीगण के पूर्वजो का नाम सम्वत 2032 से 2035 के अनुसार संशोधन किया जाकर वर्तमान जमाबन्दी के राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज किया जाकर वादीगण को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित फरमावे। डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमावे कि वाद के पर संख्या 1 एक में वर्णित भूमि ग्राम नाहरगढ, पटवार हल्का सुमेल, तहसील– रायपुर, जिला– ब्यावर में खसरा नम्बर 1041/1 रकबा 32 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है, जिसमें वादीगण के उपयोग उपभोग, काश्त मुतालिक समस्त कार्य करने में किसी प्रकार की दखलनदांजी व बाधा उत्पन्न नही करे, और ना ही वादीगण को कब्जे से बेदखल आदि करे, इसके लिये प्रतिवादीगण स्वयं व उसके परिवार के सदस्यगण नौकर, चाकर, हाली ऐजेन्ट इत्यादि को हमेशा के वास्ते पाबन्द फरमावे।

अतः वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। तहसीलदार रायपुर के पत्रांक /राजस्व/2023/1586 दिनांक 13.12.2023 द्वारा मौका फर्द रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं जिसमें राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 1041/1 रकबा 10.8051 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम गांव नाहरगढ काबिल काश्त भूमि पुरानी पडत (सिवायचक) नाम से दर्ज हैं। उपरोक्त खसरा नम्बर 1041/1 रकबा 10.8051 हैक्टैयर में से लगभग 5.1776 है(32 बीघा) पर लक्ष्मण उर्फ सुखदेव पुत्र धना जाति गुर्जर निवासी केसरपुरा पटवार मण्डल सुमेल के वारिसान भंवरलाल, नेमीचन्द्र, पुखराज पिसरान सुखदेव उर्फ लक्ष्मण नेनादेवी पुत्री सुखदेव उर्फ लक्ष्मण का मौके पर आवंटन के समय से कब्जा काश्त हैं। जिसकी नजरी नक्शा भी संलग्न किया हैं। वृक्ष वंशावली की जांच की गई जो सही हैं। वादीगण के पूर्वज का नाम राजस्व रिकार्ड के जमाबंदी गावं सुमेल संवत् 2032–2035 तहसील रायपुर जिला पाली में दर्ज हैं। राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने से यह तथ्य सामने आया कि उक्त इन्द्राज नयी चौसाला जमाबंदी में नहीं किया गया। उक्त इन्द्राज के नाम हटाने का कोई भी आदेश

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

कार्यालय में नहीं मिला हैं। कार्यालय के उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार भंवरलाल नेमीचन्द्र पुखराज व नेनादेवी के पूर्वज लक्ष्मण उर्फ सुखदेव पुत्र धना का नाम जरिये संशोधन के दर्ज किया जाना न्याय संगत हैं। साथ ही उपरोक्त भूमि में वादीगण के नाम दर्ज किया जाए तो तहसीलदार रायपुर को कोई आपत्ति नहीं हैं।

बहस समायत की गई। बहस में वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया उक्त खसरा नम्बर 1041/1 में 32 बीघा भूमि पर आवंटन से आज तक कब्जा हैं। उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थीगणों को ही कब्जा हैं, वादीगण के पूर्वज का नाम राजस्व रिकार्ड के जमाबंदी गावं सुमेल संवत् 2032–2035 तहसील रायपुर जिला पाली में दर्ज हैं। वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया हैं। बहस में बताया कि उक्त वादीगण का वर्तमान में भी आज दिनांक तक कब्जा काश्त हैं। ग्राम पंचायत सुमेल का प्रमाण पत्र भी वादपत्र के साथ पेश किया हैं जिसमें सुखदेव उर्फ लक्ष्मण पुत्र धन्ना जाति गुर्ज निवासी केसरपुरा सुमेल रायपुर को मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूं इनकी मृत्यु हो गई अतःइनके निम्न वारिसान है भंवरलाल, नेमीचन्द्र पुखराज नैना पुत्र सुखदेव हैं अतः इनको व्यक्तिगत रूप से जानती हूं। इस संबध में पंचायत द्वारा लिखित में दिया हैं।

उभयपक्ष बहस, उपलब्ध दस्तावेजो एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् सरहद मौजा– नाहरगढ पटवार हल्का सुमेल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र – बाबरा के खसरा नम्बर 1041/1 में वादीगण की 32 बीघा भूमि में तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट से पूर्णतया साबित होता हैं कि वादीगण ही इनके उतराधिकारी हैं। इस आराजी पर कब्जा काश्त हैं। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा– नाहरगढ पटवार हल्का सुमेल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र – बाबरा के खसरा नम्बर 1041/1 में वादीगण की 32 बीघा भूमि, वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित समझतें हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा– नाहरगढ पटवार हल्का सुमेल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र – बाबरा के खसरा नम्बर 1041/1 में वादीगण की 32 बीघा भूमि पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। वादग्रस्त आराजी वादी का कब्जा काश्त (वाद के संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट से सिद्व होता हैं) के अनुरूप वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाता हैं। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलअंदाजी से प्रतिवादीगण, उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। तहसीलदार रायपुर तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। तहरीर जारी हों।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

वादीगण :–

1. भंवरलाल पुत्र सुखदेव उर्फ लक्ष्मण पुत्र धन्नाजी, उम्र व्ययस्क
2. नेमीचन्द पुत्र सुखदेव उर्फ लक्ष्मण पुत्र धन्नाजी, उम्र व्ययस्क
3. पुखराज पुत्र सुखदेव उर्फ लक्ष्मण पुत्र धन्नाजी, उम्र व्ययस्क
4. नैना पुत्री सुखदेव उर्फ लक्ष्मण पुत्र धन्नाजी, उम्र व्ययस्क

जातियान– गुर्जर, निवासीगण– केसरपुरा (सुमेल) तहसील– रायपुर, जिला– ब्यावर (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. श्रीमान तहसीलदारजी, तहसील कार्यालय– रायपुर, जिला– ब्यावर
2. श्री पटवारीजी, पटवार हल्का सुमेल, तहसील–रायपुर, जिला– ब्यावर

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि.
राजस्व वाद 0137/2023

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री भागीरथ तेली अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव सरकारी पैराकार प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा– नाहरगढ पटवार हल्का सुमेल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र – बाबरा के खसरा नम्बर 1041/1 में वादीगण की 32 बीघा भूमि पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। वादग्रस्त आराजी वादी का कब्जा काश्त (वाद के संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट से सिद्व होता हैं) के अनुरूप वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाता हैं। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलअंदाजी से प्रतिवादीगण, उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं।

नीज.....×.....मुबलिक.....×.....बाबत्.....×..... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....
...×.....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक .....×.....को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.12.2023 को जारी किया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	4	00	स्टाम्प हाजरी	–	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक	–	10	00	मीजान			
मीजान		18	00			00	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।